

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

07-09-2013


आवेदक श्री प्रमोद कुमार, पिता—श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सा०—राजापुर, मैनपुरा, अपोजिट मूर्ति मकान, पो०+थाना—पाटलीपुत्रा, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—23/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि— 06.09.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि—07.09.2013 निर्धारित की गई।

दिनांक—07.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय के क्रम में पाटलीपुत्रा में अपराधियों द्वारा धमकी मिला था। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1006/गो०, दिनांक—03.07.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अपर पुलिस अधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसा सहित अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसाय करते हैं। पूर्व में आवेदक पर अपराधी द्वारा गोली मारी गयी थी, जिसके संदर्भ में पाटलीपुत्रा थाना कांड सं०—110/98 दर्ज है। आवेदक के पास पूर्व से एक एन०पी०बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं०—161/2008 प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के बिन्दु 'क', 'ख' एवं 'ग' पर कुछ भी प्रतिवेदित नहीं करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप—धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह



हत समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर
सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके
द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक
अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु
पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एक एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति निर्गत की
गई और इसके अतिरिक्त उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने
का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं
वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक
श्री प्रमोद कुमार, पिता-श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सा0-राजापुर, मैनपुरा, अपोजिट मूर्ति मकान,
पो0+थाना-पाटलीपुत्रा, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-
पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।